

मया पत्राचार विशेषकर ई-मेल हिंदी में करने को प्रोत्साहन दें

दूरभाष Phone : 23234092

फैक्स Fax : 23234537

टॉल फ्री : 1800-11-2526

## मुख्यालय, कर्मचारी राज्य बीमा निगम

Headquarters, Employees' State Insurance Corporation  
आई एस ओ 9001:2000 प्रमाणित ISO 9001:2000 certified  
पंचदीप भवन, सी.आई.जी. मार्ग, नई दिल्ली 110002  
Panchdeep Bhawan, CIG Road, New Delhi-110002


www.esic.nic.in

## परिपत्र

ऐसा देखने में आ रहा है कि मुख्यालय की कुछ शाखाएं परिपत्र, कार्यालय-ज्ञापन निमंत्रण पत्र, टेंडर विज्ञापन, निविदा, प्रशासनिक व अन्य रिपोर्ट आदि दस्तावेज जो राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) में वर्णित हैं और जिनका हिंदी व अंग्रेजी में साथ-साथ जारी होना समादेशात्मक (mandatory) है केवल अंग्रेजी में जारी हो रहे हैं। यह कार्यालय द्वारा स्थापित जांच-बिन्दुओं का उल्लंघन है।

मुख्यालय हिंदी-भाषी राज्य में स्थित है एवं राजभाषा नियम 8(4) के अंतर्गत हिंदी प्रवीण/कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कार्मिकों के लिए यह अनिवार्य एवं आवश्यक है कि शत-प्रतिशत नोटिंग व पत्र-व्यवहार का कार्य केवल तकनीकी एवं विधिक मामलों के अपवादों को छोड़कर केवल हिंदी में ही सम्पन्न किया जाए।

यह हस्ताक्षर करने वाले अधिकारी की जिम्मेदारी है कि वे ऐसे दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने एवं जारी करने से पूर्व धारा 3(3) के दस्तावेजों की द्विभाषिक जारी होने की स्थिति सुनिश्चित कर लें ताकि सरकार की राजभाषा नीति का पालन हो।



(क्षेत्रपाल शर्मा)

Öää%äitãçã äãñãniãtãS(Aã•ã¼ääÖää)

संयुक्त निदेशक (राज.)

सभी डिवीजन प्रमुख(मुख्यालय), क.रा.बी.निगम

संयुक्त निदेशक/(राजभाषा)/2009

दिनांक : 11.02.2010

E:\Amrit\Rajbhasha\JD OI\Implementation of Dhara 3(3).doc